पत्रांक–2ब० / ना०नि०–03 / 2009 261 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, राजगीर।

पटना, दिनांक– 22/3/17

विषयः– **नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत नवनिर्मित ड्रेनेज एवं सिवरेज सिस्टम तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट नेटवर्क में गृह संयोजन (House Hold Connection) हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल ₹243.28107 लाख (दो करोड़ तैंतालीस लाख अठाईस हजार एक सौ सात रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

विभागीय राज्यादेश सं०– 459, दिनांक– 27.01.10 के आलोक में राजगीर नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत ड्रेनेज एवं सिवरेज सिस्टम तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण हेतु ₹7767.00 लाख (सतहत्तर करोड़ सड़सठ लाख रु०) मात्र की स्वीकृत योजना के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2015–16 के बीच विभिन्न राज्यादेशों एवं आवंटनादेशों द्वारा सम्पूर्ण राशि विमुक्त की जा चुकी है। राजगीर नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत ड्रेनेज एवं सिवरेज सिस्टम तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। योजना का लाभ नगर निकाय क्षेत्र के परिवारों को उपलब्ध कराने हेतु सिवरेज योजना में गृह संयोजन (House Hold Connection) का कार्य अवशेष है। विभागीय पत्रांक– 4235, दिनांक– 18.08.2015 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे सभी परिवारों के सैप्टिक टैंक को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने हेतु हाउस कनेक्शन शुल्क का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा।

2. उक्त के आलोक में प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक– 279, दिनांक– 04.02.2017 द्वारा राजगीर क्षेत्रान्तर्गत नवनिर्मित ड्रेनेज एवं सिवरेज सिस्टम तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट नेटवर्क में गृह संयोजन (House Hold Connection) कार्य हेतु कुल ₹243.28107 लाख (दो करोड़ तैंतालीस लाख अठाईस हजार एक सौ सात रु०) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए राशि स्वीकृत एवं आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं प्रबंध निदेशक, बुडको के उक्त अनुरोध तथा विभागीय राज्यादेश सं०–260... दिनांक–22/3/17... के आलोक में नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन कार्य मद से नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत नवनिर्मित ड्रेनेज एवं सिवरेज सिस्टम तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट नेटवर्क में गृह संयोजन (House Hold Connection) कार्य हेतु कुल ₹243.28107 लाख (दो करोड़ तैंतालीस लाख अठाईस हजार एक सौ सात रु०) मात्र आवंटित की जाती है।

कुल आवंटित राशि ₹243.28107 लाख (दो करोड़ तैंतालीस लाख अठाईस हजार एक सौ सात रु०) मात्र

4. आवंटित कुल ₹243.28107 लाख (दो करोड़ तैंतालीस लाख अठाईस हजार एक सौ सात रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998, वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2938/वि(2), दिनांक– 08.04.2008, पत्रांक– 423, दिनांक– 31.03.2016 एवं पत्रांक– 811, दिनांक– 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि की निकासी कर योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसी, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BUIDco), पटना को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।**

5. राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रुप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

6. आवंटित कुल ₹243.28107 लाख (दो करोड़ तैंतालीस लाख अठाईस हजार एक सौ सात रु०) की निकासी वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित मांग संख्या 48 बजट शीर्ष 2215– जल पूर्ति तथा सफाई– उपमुख्य शीर्ष –02–मल–जल तथा सफाई– लघुशीर्ष–193– नगर पंचायतो/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य को सहायता– उपशीर्ष–0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **P 2215021930102,** विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

7. योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

8. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BUIDCo), पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

22.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–03/2009 261 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 22/3/17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी संबंधित कोषागार/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BUIDCo), पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी संबंधित कोषागार से अनुरोध है कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी नहीं होने दिया जाय।

22.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–2ब०/ना०नि०–03/2009 260 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 22/3/17

विषयः– **नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत नवनिर्मित ड्रेनेज एवं सिवरेज सिस्टम तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट नेटवर्क में गृह संयोजन (House Hold Connection) हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल ₹243.28107 लाख (दो करोड़ तैंतालीस लाख अठाईस हजार एक सौ सात रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

विभागीय राज्यादेश सं०– 459, दिनांक– 27.01.10 के आलोक में राजगीर नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत ड्रेनेज एवं सिवरेज सिस्टम तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण हेतु ₹7767.00 लाख (सतहत्तर करोड़ सड़सठ लाख रु०) मात्र की स्वीकृत योजना के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2015–16 के बीच विभिन्न राज्यादेशों एवं आवंटनादेशों द्वारा सम्पूर्ण राशि विमुक्त की जा चुकी है। राजगीर नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत ड्रेनेज एवं सिवरेज सिस्टम तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। योजना का लाभ नगर निकाय क्षेत्र के परिवारों को उपलब्ध कराने हेतु सिवरेज योजना में गृह संयोजन (House Hold Connection) का कार्य अवशेष है। विभागीय पत्रांक– 4235, दिनांक– 18.08.2015 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे सभी परिवारों के सैप्टिक टैंक को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने हेतु हाउस कनेक्शन शुल्क का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा।

2. उक्त के आलोक में प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक– 279, दिनांक– 04.02.2017 द्वारा राजगीर क्षेत्रान्तर्गत नवनिर्मित ड्रेनेज एवं सिवरेज सिस्टम तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट नेटवर्क में गृह संयोजन (House Hold Connection) कार्य हेतु कुल ₹243.28107 लाख (दो करोड़ तैंतालीस लाख अठाईस हजार एक सौ सात रु०) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए राशि स्वीकृत एवं आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं प्रबंध निदेशक, बुडको के उक्त अनुरोध के आलोक में नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन कार्य मद से नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत नवनिर्मित ड्रेनेज एवं सिवरेज सिस्टम तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट नेटवर्क में गृह संयोजन (House Hold Connection) कार्य हेतु

कुल ₹243.28107 लाख (दो करोड़ तैंतालीस लाख अठाईस हजार एक सौ सात रु०) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कुल स्वीकृत राशि ₹243.28107 लाख (दो करोड़ तैंतालीस लाख अठाईस हजार एक सौ सात रु०) मात्र

इसके लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

4. स्वीकृत कुल ₹243.28107 लाख (दो करोड़ तैंतालीस लाख अठाईस हजार एक सौ सात रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998, वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2938/वि(2), दिनांक– 08.04.2008, पत्रांक– 423, दिनांक– 31.03.2016 एवं पत्रांक– 811, दिनांक– 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि की निकासी कर योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसी, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BUIDco), पटना को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।**

5. राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रुप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

6. स्वीकृत कुल ₹243.28107 लाख (दो करोड़ तैंतालीस लाख अठाईस हजार एक सौ सात रु०) की निकासी वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित मांग संख्या 48 बजट शीर्ष 2215– जल पूर्ति तथा सफाई– उपमुख्य शीर्ष –02–मल–जल तथा सफाई– लघुशीर्ष–193– नगर पंचायतो/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य को सहायता– उपशीर्ष–0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **P 2215021930102,** विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

7. योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/ना०नि०–03/2009 के पृष्ठ सं०–...105.../टि० पर दिनांक–22.03.2017 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–....105.... /टि० पर दिनांक–...22.03.2017... को प्राप्त है।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BUIDCo), पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

22.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–03/2009 260 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–22/3/17

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी संबंधित कोषागार/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BUIDCo), पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी संबंधित कोषागार से अनुरोध है कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी नहीं होने दिया जाय।

22.3.17

सरकार के विशेष सचिव।